

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 809

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

आदेश

निम्नलिखित व्याख्याताओं को शैक्षिक उन्नयन एवं प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय (कहाँ से)	राजकीय महाविद्यालय (कहाँ को)
1	ए.क्यू चिश्ती (RVRES)	ए.बी.एस.टी.	नीमकाथाना	किशनगढ
2	सोहनलाल स्वामी (RVRES)	ई.ए.एफ.एम.	नौखा	बीकानेर
3	एस.पी.सिंह (RVRES)	अंग्रेजी	चिमनपुरा	विराटनगर
4	नवनीत धवन (RVRES)	भूगोल	तारानगर	राजगढ
5	कृष्ण बीर सिंह (RVRES)	हिन्दी	चिमनपुरा कलां	कोटपूतली
6	सुशीला सारस्वत (RVRES)	हिन्दी	चिमनपुरा	किशनपोल कन्या
7	भावना पारीक (RVRES)	इतिहास	कालाडैरा	विराटनगर


 (प्रदीप कुमार बोरड)


आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
 राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 809

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप संख्या वि. सं./रा.म./उ.शि./2019/2057 दिनांक 29.09.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्याख्याता को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी hrd.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें।
5. सम्बन्धित व्याख्याता को पालनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालय की ई-मेल आई.डी.पर प्रेषित करें।
7. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।


 (जैनाराम नागौरा)

संयुक्त निदेशक(HRD)
 कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर